

बिहार सरकार
कृषि विभाग,
m|ku funks'kky;] fcgkj
अधिसूचना

i= la[;k&13@måfuå&406@2019& @—å iVuk] fnukad
2021 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उद्यान निदेशालय, बिहार के नियंत्रणाधीन लिपिकीय सेवा में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1-संक्षिप्ताप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ A&

(1) यह नियमावली बिहार कृषि विभागीय उद्यान कोटि-7 लिपिकीय (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2-विभाग A&

(1) विभाग से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग (उद्यान निदेशालय)।

(2) “संवर्ग” से अभिप्रेत है, बिहार उद्यान निदेशालय लिपिकीय सेवा (उद्यान कोटि-7) का laoxZ]

(3) “आयोग” से अभिप्रेत है, “बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग”

(4)

“वर्ष” से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष का 31 मार्च की अवधि।

(5) “सक्षम प्राधिकार” से अभिप्रेत है “निदेशक उद्यान”।

(6) “सदस्य से अभिप्रेत है निम्नवर्गीय लिपिक उद्यान में नियुक्त व्यक्ति,

(7) “नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है निदेशक उद्यान, कृषि विभाग, बिहार सरकार। 3-संवर्ग का गठन एवं पद सोपान।- यह सेवा राज्य स्तरीय सेवा होगी तथा कृषि विभाग के अन्तर्गत उद्यान निदेशालय इस सेवा का नियोक्ता-सह-नियंत्री प्राधिकार होगा।

(1) इस सेवा का मूल पद, निम्नवर्गीय लिपिक होगा।

4-संवर्ग की संरचना।- (क) संवर्ग की पदीय संरचना निम्न प्रकार होगी %&

Øå laå	कोटि का नाम	Lrj	vH;qfDr
--------	-------------	-----	---------

1	fuEuoxhZ; fyfid	मूल कोटि	vjktif=r
2	mPpoxhZ; fyfid	प्रथम प्रोन्नति स्तर	
3	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	
4	dk;kZy; v/kh{kd	तृतीय प्रोन्नति स्तर	

(ख) उक्त पदों का स्वीकृत बल वहीं होगा जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाए। (ग) उक्त पदों का ग्रेड वेतन/वेतन स्तर वहीं होगा जैसा समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार }kjk Lohd`r fd;k tk,A
(घ) नियत तिथि से इस संवर्ग में पूर्व से कार्यरत सभी व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग के सदस्य होंगे।

5-मूल कोटि में नियुक्ति एवं प्राsUufr A&

(1) पद एवं शैक्षण्िक योग्यता:- निम्नवर्गीय लिपिक हेतु शैक्षण्िक योग्यता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमीडियट एवं समकक्ष होगा।

(2) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।

LDC/niy./ 09.07.2021

&2&

(3) भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निदेशक उद्यान द्वारा नियुक्ति fuEuoxhZ; fyfid ds in ij dh tk;sxhA

(4) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेजा जायेगा।

(5) निम्नवर्गीय लिपिक का 85 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरा जायेगा और 15 प्रतिशत पद इन्टरमीडियट योग्यताधारी सुपात्र समूह 'घ' परिचारी से वरीयतानुसार प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नत कर्मी को प्रथम वेतनवृद्धि के

उपरांत अगली वेतनवृद्धि कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा, हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। तभी अगली वेतनवृद्धि देय होगी। सरकार द्वारा समय-समय पर अनुकम्पा पर नियुक्ति के संबंध में किये गये प्रावधान भी लागू होंगे।

(6) निदेशक उद्यान द्वारा रिक्ति की अधियाचना विधिवत् बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित करेगा और

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद

संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा।

मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

6-आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा।- आयोग लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर, सामान्य तथा प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए, अलग-अलग मेधा सूची तैयार करेगा। ऐसी तैयार की गई सूचियों में से आयोग प्रतिवेदित अध्याचना के अनुसार उद्यान निदेशालय (कृषि विभाग) को अनुशंसा भेजेगा।

7-आरक्षण।- भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8- विभागीय परीक्षा।- (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी। राजस्व पर्षद द्वारा लिपिक संवर्ग के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। (2) नियमावली प्रभावी होने के पूर्व कृषि विभाग द्वारा पूर्व से संचालित वांछित सभी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मी राजस्व पर्षद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा से विमुक्त माने जायेंगे।

9-विभागीय परीक्षा (हिन्दी टिप्पण प्रारूपण एवं राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा) उत्तीर्ण होने पर सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

10-उच्चवर्गीय लिपिक।- (1) उच्चवर्गीय लिपिक के शत प्रतिशत पदों पर निम्नवर्गीय लिपिक में कार्यरत कर्मियों से विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण परांत वरीयता क्रमानुसार प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(2) उच्चवर्गीय लिपिक में प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित वेतनमान (ग्रेड पे) आधारित कालावधि मान्य होगी।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति के लिए समय-समय पर विहित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

(4) बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त एवं उसी कैलेण्डर वर्ष में निम्न पद से प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्त कर्मी की आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित

LDC/niy./ 09.07.2021

11-विभागीय प्रोन्नति समिति।- विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से

&3&

12-विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान।- जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त

संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में किये गये प्रावधान,

bl lsok ds lanHkZ

esa ykxw ekus tk;saxsA

13-fujlu ,oa O;ko`ति 1- (1)

इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति/सेवा शर्त संबंधी

पूर्व में

fuxZr lHkh ifji=@vuqns'k@ladYi ,rn~ }kjk

fujflr fd, tkrs gSaA

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में निर्गत परिपत्र/अनुदेश/संकल्प के अधीन

किया गया कुछ

भी या की गयी कोई

कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो

यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कार्रवाई

की

x;h FkhA

बिहार राज्यपाल के

आदेश से,

(डा० एन० सरवण कुमार)

gE@&

lfpo]

कृषि विभाग,

बिहार। Kkikad %&

@mā] iVuk] fnuakd

2021

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना और ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को इसकी सी०डी० सहित द्विप्रतिक प्रतियों में असाधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

अनुरोध है कि कृषि विभाग, बिहार, पटना को इस अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ miyC/k djkbZ tk,A

gE@&

lfpo]

कृषि विभाग,

बिहार। Kkikad %&

@mā] iVuk] fnuakd

2021

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/ मुख्य सचिव/माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

gE@&

lfpo]

कृषि विभाग,

बिहार। Kkikad %&

@mā] iVuk] fnuakd

2021

प्रतिलिपि:- कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, कृषि

के आप्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, कृषि विभाग, बिहार/कृषि निदेशक, बिहार/अपर कृषि निदेशक (प्रसार)/निदेशक उद्यान, बिहार/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक पी०पी०एम०/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

lfpo]

LDC/niy./ 09.07.2021

कृषि विभाग, बिहार।

LDC/niy./ 09.07.2021

